सराहनीय कार्य
दिनॉक 03.09.2020
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

अवैध असलहा फैक्ट्री बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–:

04 अदद निर्मित, 06 अदद नाल एंव कारतूस सहित भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त –
01. अली अहमद पुत्र बेचन नि0 चहलवा मौजा नरायनपुर कला थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–
01.	03 अदद तमंचा 12 बोर
02.	01 अदद तमंचा 315 बोर
03.	02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
04.	01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
05.	04 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।
06	01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
07.	06 अदद नाल।
08.	शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–201/20, धारा 3/5(1)/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –
जनपद गोण्डा में अवैध शस्त्र की तस्करी व उनके निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने सुरागरसी पतारसी कर अवैध असलहो के निर्माण व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्त के सम्बंध में अहम जानकारियां हासिल कर गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है।

दिनांक 02.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त **अली अहमद** भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य पतहलिया बाबा स्थान के पास स्थित बाग में कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार मय पुलिस बल के दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह काफी दिनो से अवैध शस्त्र फैक्टरी लगा रखी है और वहीं से असलहो का निर्माण कर बिक्री करते है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कटराबाजार पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार संतोष कुमार सिंह मय टीम।